भारत सरकार / Government of India
परमाणु उर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
निर्माण सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय /
Directorate of Construction, Services & Estate Management
सामान्य अनुभाग / General Section

विक्रम साराभाई भवन/Vikram Sarabhai Bhavan,
दूसरा तल, उत्तर स्कंध /2nd floor, North Wing,
अणुशक्तिनगर/ Anushaktinagar,
मुंबई / Mumbai 400 094

सं.No.निसेसंप्रनि DCSEM/सा.Gen/Misc.Tel/2018/ 259 तिथि Date: अगस्त August 24, 2020

परिपत्रCIRCULAR

विषय: विभागीय आवासीय कॉलोनी में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISPs) को अनुमति देने के संबंध में
Sub : Permission to Internet Service Providers (ISPs) in departmental residential colonies

****

विभाग के सक्षम प्राधिकारी ने मुंबई स्थित विभागीय आवासीय कॉलोनी में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISPs) की सेवाओं के लिए निम्नलिखित दिशा- निर्देशों के आधार पर अनुमोदन प्रदान किया है The Competent Authority in the Department has approved the services of Internet Service Providers in the Departmental residential colonies in Mumbai subject to the following guidelines.

1) अधिकतम 2 सर्विस प्रोवाइडरों को अनुमति दी जाएगी जिसमें एक सार्वजनिक सेक्टर (एमटीएनएल/बीएसएनएल) एवं अन्य निजी सेक्टर से होगा । Maximum 2 service providers can be permitted one being a public sector unit (MTNL/BSNL etc.) and the other one from private sector;
2) विभिन्न स्थानों के आवासीय कल्याण संघ (आरडब्लूए) से सहमित/वचनपत्र निम्नानुसार होंगे : -

   The consent/undertaking from the Resident Welfare Associations (RWAs)/Group of Residents of different locations will be as follows:-

   a) अणुशक्तिनगर के मामले में, आरवा संपूर्ण अणुशक्तिनगर कॉलोनी सहित न्यू मंडाला परिसर एवं वेस्टर्न सेक्टर हेतु सहमित/वचनपत्र देगा । In case of Anushaktinagar, ARWA will give consent/undertaking to DCSEM for the service provider for the entire Anushaktinagar colony including New Mandala area and Western Sector;

   b) झर्लिना, पूर्णिमा, आनंदभवन, केनिलवर्थ, एटॉमिका जैसी सिंगल ब्लॉक बिल्डिंगों में आवासीय कल्याण संघ/बिल्डिंग के निवासी एक निजी सर्विस प्रोवाइडर का नाम सूचित करेंगे जिसके लिए आबंटित फ्लैट के कम से कम 70% निवासियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। In case of single block buildings such as Zerlina, Purnima, Anand Bhavan, Kenilworth, Atomica etc., the Resident Welfare Association/building occupants will submit the name of the

one private service provider with signatures of atleast 70% of occupants of the allotted flats;

c) चेंबूर बांद्रा जैसी मल्टीपल ब्लॉक बिल्डिंगों में आवासीय कल्याण संघ/बिल्डिंग के निवासी एक निजी सर्विस प्रोवाइडर का नाम सूचित करेंगे जिसके लिए आबंटित फ्लैट के कम से कम 60% निवासियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। In case of multiple block buildings such as Chembur, Bandra etc., the Resident Welfare Association/building occupants will submit the name of the one private service provider with signatures of atleast 60% of the occupants of the allotted flats.

3) उपरोक्त के आधार पर, चयन किए गए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISPs) की इच्छानुसार विस्तृत रुपरेखा व प्लान के अनुसार फाइबर केबल डालने के पहले आवासीय कल्याण संघ/निसेसंप्रनि के निवासियों के समूहों से अनुमित ली जाए । Based on the above, permission has to be sought by RWA/Group of Residents from DCSEM before laying fibre cable lines with detailed layout and plan along with willingness of chosen Internet Service Provider;

4) एक बार चयन किए गए सर्विस प्रोवाइडर को सिंगल बिल्डिंग के लिए कम से कम एक वर्ष, मल्टीपल बिल्डिंगों की कॉलोनियों में कम से कम दो वर्ष, तथा अणुशक्तिनगर में कम से कम तीन वर्षों तक सेवाएं प्रदान करनी होगी । The service provider once chosen should be continued for minimum 1 year in single building, minimum 2 years in colonies with multiple buildings and minimum 3 years in Anushaktinagar;

5) सर्विस प्रोवाइडर को वचन देना होगा कि सेवाओं की उपरोक्त कम से कम प्रचालन अवधि/ समाप्ति के प्रश्चात सभी संस्थापनाएं विभाग की संपत्ति होगी । वचनपत्र में यह भी शर्त होगी कि विभाग के पास बिना कोई कारण बताएं किसी भी समय अनुमति वापस लेने का अधिकार होगा । The service provider should give an Undertaking that all installations will become the property of the Department after the expiry of the above minimum period of functioning / termination of the services. This Undertaking will also have a clause wherein the Department reserves the right to withdraw the permission at any point of time without assigning any reason thereof;

6) सर्विस के संबंध में उपयोगकर्ता को आवासीय कल्याण संघ (आरडब्लूए)/ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISPs)से प्रत्यक्ष संपर्क करना होगा । The user will have to directly deal with the RWAs/ISPs in respect of the services;

7) अंतिम उपयोगकर्ता प्रणाली की साइबर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा तथा एंटी वाइरस, फायरवॉल्स जैसे उपयुक्त सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करेंगे एवं इंटरनेट से जुडने पर उत्कृष्ट कार्यान्वयन का अनुसरण करेंगे । End users shall be responsible for the Cyber Security of the system & will ensure adequate security measures such as antivirus, firewalls & so on and also follow best practices when connected to the Internet.

अनुरोध है कि इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं । It is requested that this may please be brought to the notice of all concerned.

ए. बनर्जी
24/8/2020,

(ए बनर्जी A. Banerjee)
मुख्य प्रशासन अधिकारी Chief Administrative Officer

मुंबई स्थित पऊवि के सभी आवासीय कल्याण संघ/आवसीय बिल्डिंग All Residents Welfare Association / Residential Buildingsof DAE in Mumbai

प्रतिलिपि Copy to:

1. निदेशक, निसेसंप्रनि Director, DCSEM, Mumbai
2. संयुक्त सचिव (ए एवं ए), पऊवि, मुंबई Under Secretary (SUS), DAE, Mumbai